(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

रिव्यू प्रकरण कमांक 1241–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–5–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 124/ए–68/1988–89

श्रीमती सुधा देवी पत्नी सन्तोष कुमार पाठक
निवासी ग्राम सुपेला तहसील देवसर,
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– रामदास पुत्र लोलर केवट
निवासी ग्राम जियावन तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला–सिंगरौली म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0 शुक्ला, शासकीय पैनल अभिभाषक, आवेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3 अगस्त 2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह रिव्यू प्रकरण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23–05–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ आवेदक अभिभाषक एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यू आवेदन इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 1785–तीन/2013 में पारित आदेश

दिनांक 23–5–13 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषकों के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया। पूर्व में निष्पादित आदेश दिनांक 23–5–13 के विरूद्ध दिनांक 30–5–15 को लगभग दो वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि विषयांकित भूमि के संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी में आदेशपारित करने के बाद कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानीमें प्रकरण लेकर आवेदिका के विरूद्ध आदेश पारित किया है जबकि अपर कलेक्टर एवं कलेक्टर समकक्ष न्यायालय है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा किए गए आदेश के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा निगरानी नहीं सुनी जा सकती, यह वैधानिक त्रुटि की है। इस बात को आवेदिका ने इस न्यायालय में पूर्व में दायर निगरानी में उठाया गया था, परन्तु पूर्व में मान0 सदस्य द्वारा दिनांक 23–5–13 को किए गए आदेश में इस बात पर विचार किए बिना ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त कर दी, अतः यह रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया है।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदिका की ओर से इस न्यायालय के पूर्व आदेश के विरूद्ध लगभग दो वर्ष पश्चात रिव्यू प्रकरण दायर किया है, जो समयबाधित है। यह भी तर्क दिया कि रिव्यू में ऐसा कोई नया तथ्य अथवा अभिलेख से प्रत्यक्ष कोई त्रुटि नहीं बतलाई है जिसके कारण इस न्यायालय के आदेश में कोई परिवर्तन किया जा सके। अतः रिव्यू आवेदन निरस्त किया जाये।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह रिव्यू आवेदन समयावधि के बाहर प्रस्तुत किया है जिसके विलम्ब का कोई आधार एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त कलेक्टर के विचाराधीन आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में गुणदोषों के आधार पर पूर्ण विवेचना उपरान्त आदेश पारित किया है जबकि आवेदिका की याचिका में उल्लिखित अनुसार ही कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी प्रकरण अदम पैरवी तथा

समयावधि से बाहर होने के कारण निरस्त किया गया था। उक्त आदेशों की प्रतिलिपि भी याचिका के साथ संलग्न नहीं थी। अपर कलेक्टर न्यायालय में उक्त प्रकरण गुण–दोषों के आधार पर आवेदिका के पक्ष में निराकृत नहीं किया गया था। अतः कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेना त्रुटिपूर्ण नहीं है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :–

1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण

इस प्रकार आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि या भूल भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर